बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 164833
ग्रा0वि07(आं0)-24/2013

पटना, दिनांक 27.09.2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
अरवल, शिवहर, शेखपुरा, जहानाबाद, किशनगंज एवं पटना ।

विषय:- **e-FMS पद्धति लागू करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से आप अवगत है कि राज्य में मनरेगा योजना के तहत निधि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी एवं ससमय भुगतान करने के उद्देश्य से e-FMS पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में आपके जिलों के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में e-FMS प्रणाली के माध्यम से मनरेगा अन्तर्गत भुगतान किया जाना है ।

e-FMS प्रणाली को लागू करने हेतु digital signature का प्रयोग किया जाना है । हर भुगतान आदेश दो Digital Signature के द्वारा electronically हस्ताक्षरित किये जायेगें । प्रथम digital signature एडवाईस (Fund Transfer Order) तैयार करने वाले को दिया जाएगा तथा दूसरा digital signature इस FTO (Fund Transfer Order) को जॉच कर स्वीकृत करने वाले को दिया जाएगा ।

वर्तमान में भुगतान आदेश पर पंचायत कार्यकारिणी का अनुमोदन प्राप्त कर Cheque एवं एडवाईस पर मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा हस्ताक्षर कर बैंक / पौस्ट ऑफिस को भेजा जाता है । e-FMS पद्धति से भुगतान में Wage List पर पंचायत के कार्यकारिणी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त उनका FTO (Fund Transfer Order) कार्यक्रम पदाधिकारी के digital Signature से MIS में तैयार करने तथा इस FTO (Fund Transfer Order) को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा MIS पर जॉच कर अपने digital Signature से स्वीकृत करने की प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

इस क्रम में आपके जिला अन्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा कार्यक्रम पदाधिकारियों का (पटना जिला के मामले में मात्र नौबतपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी का) Digital Signature बनाया जाना अपेक्षित है ।

26.9.13

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिला द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज विशेष दूत के माध्यम से विभाग में श्री सतीश रंजन सिन्हा / श्री सुमित अग्रवाल, UNDP Consultant को दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

1. उप विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित विधिवत् भरा हुआ Digital Signature Certificate (DSC) प्रपत्र ।
2. उप विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित संबंधित अधिकारी की स्व-अभिप्रमाणित फोटो ID Proof सहित ।
3. 555/- (पाँच सौ पचपन) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "Account Officer, NIC, New Delhi" के पक्ष में New Delhi में भुगतेय होगा ।
4. NIC द्वारा प्रदत् विहित प्रपत्र http://nicca.nic.in/pdf/DSC-Request-Form.pdf पर से डाउनलोड किया जा सकता है । जिन कार्यक्रम पदाधिकारी का भरा हुआ फार्म तथा Bank पूर्व में विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है उनको पुन: फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

26.9.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।